बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in, Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

कार्यालय आदेश

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के अधीन शाखा कार्यालयों में पदस्थापित क्षेत्रीय प्रभारी निम्नांकित कार्य सम्पादित करेंगेः–

1. IAMC के साथ प्रतिमाह तथा जहाँ IAMC का गठन नहीं हुआ है, वहाँ ईकाईयों के साथ समय–समय पर बैठक कर उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा एवं मंतव्य के साथ क्षेत्रीय कार्यालय/बियाडा मुख्यालय में समर्पित करना।
2. ईकाईयों से बकाये भू–किस्तादि मद की राशि की वसूली हेतु नोटिस निर्गत करना, बकाये की वसूली करना। प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक बकाया संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में क्षेत्रीय कार्यालय में समर्पित करना।
3. नीलाम पत्र वाद की पैरवी करना तथा उक्त माध्यम से वसूली का प्रयास करना। अपने क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद की पैरवी न्यायालय में करना।
4. क्षेत्रीय प्रभारी अपने–अपने कार्यालय में उपलब्ध संचिकाओं की सूची तीन प्रति में तैयार करेंगे एवं एक प्रति शाखा कार्यालय, एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय एवं एक प्रति मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
5. अपने क्षेत्र में खाली भूखंडों/छावनी का अद्यतन ब्यौरा विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रत्येक माह के अंतिम दिन ऑनलाईन अपडेट करेंगे।
6. औद्योगिक क्षेत्र में किये जा रहे भूअर्जन/भूमि क्रय संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में समर्पित करेंगे।
7. आधारभूत संरचना हेतु पूर्व से निर्धारित 15 बिन्दु एवं IPRS में निर्धारित सभी बिन्दुओं के अनुसार, प्रतिदिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट अपडेट करेंगे।
8. क्षेत्रीय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो। यदि अतिक्रमण है तो उसे अतिक्रमण मुक्त करवायेंगे। यदि खाली कराने में वे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो इसकी लिखित सूचना विकास पदाधिकारी/सहायक विकास पदाधिकारी को करेंगे।
9. प्रत्येक दिन दो बार (सुबह/शाम) अपने क्षेत्र में भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन प्रत्येक दिन बियाडा के वेबसाईट पर अपडेट करेंगे।

   भ्रमण के दौरान यदि किसी प्रकार का Unusual Activities होना प्रतीत हो तो उसे अपने स्तर से हल करेंगे एवं यदि इसमें कठिनाई हो तो संबंधित विकास पदाधिकारी/सहायक विकास पदाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर समस्या का निदान करेंगे।
10. उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त वरीय पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों को संपादित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

24/12/18

प्रबंध निदेशक
बियाडा, पटना।

ज्ञापांक 6660/D दिनांक 29-12-2018

प्रतिलिपिः— कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना/दरभंगा/भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा/ प्रभारी, प्र0 नि0 कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/12/18

कार्यकारी निदेशक,
बियाडा, पटना।